म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26–अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/मंडी/एम.डी./पी.ए./2020/536 भोपाल,दिनांकः 27–03–2020

प्रति,

भारसाधक अधिकारी/सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति,
........................जिला......................(समस्त) म.प्र.

विषयः–कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगण में खेरची व्यापार पर पूर्णतः रोक लगाए जाने के संबंध में।

प्रदेश की विभिन्न मंडी प्रांगणों में यह देखा जा रहा है कि जहां फल एवं सब्जी मंडी का थोक व्यापार किया जाना चाहिए वहीं पर मंडी प्रांगण में ही खेरची व्यापार भी किया जा रहा है, जो मंडी संचालन के नियमों के विरूद्ध है। कृपया सुनिश्चित करें कि किसी भी मंडी प्रांगण में केवल फल एवं सब्जी का थोक व्यापार किया जाए एवं किसी भी प्रकार का खेरची व्यापार नहीं किया जावे।

कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए सामाजिक दूरी एवं साफ सफाई संबंधी पृथक से जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए फल एवं सब्जी मंडियों में खेरची व्यापार रोकने हेतु निम्नानुसार व्यवस्थाएं किया जाना आवश्यक होगा :–

1– मंडी सचिव सहित मंडी का पूरा अमला मंडी खुलने के समय से कम–से–कम आधा घंटा पहले मंडी में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।

2– प्रत्येक प्लेटफार्म पर यथा आवश्यक संख्या में माईक लगाकर खेरची व्यापार नहीं करने संबंधी उद्घोषणा लगातार किया जाना सुनिश्चित करें।

3– मंडी खुलने के आधा घंटा पहले से लगातार मंडी की गाड़ी मय माईक सिस्टम के मंडी प्रांगण में घूमती रहें एवं खेरची व्यापार करने वालों को लगातार हटाती रहे।

4– उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त कई अन्य व्यवस्था भी स्थानीय स्तर पर की जा सकती है, परन्तु यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में खेरची व्यापार का संचालन मंडी परिसर में नहीं किया जावे।

5– आम नागरिक को फल–सब्जी खरीदने हेतु कठिनाई नहीं हो, सुनिश्चित करने हेतु मंडी सचिव/संयुक्त/उप संचालक स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर शहर में अन्य स्थानों पर खेरची व्यापार हेतु उपलब्ध स्थानों की जानकारी प्राप्त कर मंडी परिसर के बाहर गेट पर प्रदर्शित करेंगे, ताकि खेरची

व्यापारी एवं आम नागरिक उन स्थानों पर से फल एवं सब्जी खरीद एवं बेच सकें।

कृपया उपरोक्त बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जावे।

27.3.20

(संदीप यादव)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/मंडी/एम.डी./पी.ए./2020/537 भोपाल,दिनांकः 27-03-2020

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिला कलेक्टर (समस्त) मध्यप्रदेश।
2– संयुक्त/उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय .... (समस्त)

27.3.20

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल